

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0175 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/08/2024 18:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 16/08/2024 Date To (दिनांक तक): 17/08/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 14:58 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/08/2024 Time (समय): 15:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 19/08/2024 18:16:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 270 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): POLICE STATION KAITHUN, KOTA GRAMIN

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DEEPAK SONI

(b) Father's Name (पिता का नाम): SHYAMBABU SONI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MOHAN CHAT KE PASS, KOTHRI GOVERDHANPURA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOHAN CHAT KE PASS, KOTHRI GOVERDHANPURA, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHARAT KUMAR		पिता: MULARAM	1. KHARIYATALA, BARMER, RAJAS
2	DHANRAJ MEENA		पिता: JAGANNATH MEENA	1. KESHAVPURA, BUNDI, RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,00,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 3,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय हालात इस प्रकार है मन् पुलिस निरीक्षक को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष में बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी श्री दीपक सोनी पुत्र श्री श्यामबाबू सोनी उम्र 40 साल निवासी-कोटडी गोवर्धनपुरा, मोहन चाट वाले के पास, कोटा से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा उन्हे पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री दीपक सोनी को साथ लेकर स्वयं के कक्ष में आया तथा परिवादी श्री दीपक सोनी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया जो इस आशय का है कि "मैं प्रार्थी दीपक सोनी कोटा का निवासी हूं तथा मेडीकल में दवाईयों का हॉलसेल का काम करता हूं। मैंने अपनी आय से कैथून से किशनपुरा तकिया गांव के रोड पर रामप्रसाद पुत्र पुष्पचंद जाति धाकड निवासी कैथून से साढे तीन बीघा जमीन 9 अप्रैल 2024 को खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 15 मई 2024 को हुई थी। रजिस्ट्री के पश्चात मैंने जमीन का म्यूटेशन खुलवाने के लिए तहसील लाडपुरा में आवेदन किया तो मुझे बताया कि इस जमीन पर पूर्व से बैंक का लोन (के.सी.सी.) ले रखी हैं, अतः पहले के.सी.सी. का नो ड्यूज लेकर आओ इस पर मैंने रामप्रसाद धाकड से बात की तो उसने के.सी.सी. चुकाने से मना कर दिया, इस पर मैंने स्वयं के.सी.सी. के 7,50,000/- रु. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा खेडारसूलपुर में जमा करवाये तथा नोड्यूज लेकर तहसील में देने पर म्यूटेशन खुल गया। इसके बाद मैं जमीन पर कब्जा लेने गया तो रामप्रसाद के परिवार वालों ने लडाई झगडा करके मुझे जमीन पर काबिज नहीं होने दिया। इसकी शिकायत मैंने थाना कैथून में की, शिकायत के दस पन्द्रह दिन बाद थानाधिकारी कैथून, धनराज मीणा ने मुझे कैथून थाने के कानिस्टेबल भरत से फोन करवा कर थाने पर बुलाया तथा मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन पर मेरा कब्जा दिलवाने के नाम पर पांच लाख (5,00,000)रु मांगे। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मेरे पहले ही बहुत पैसा इस मामले में अनावश्यक लग गया हैं इतने रु. में नहीं दे पाऊंगा तब थानाधिकारी कैथून धनराज जी ने मुझे तीन लाख रु. में काम करवाने के लिए कहा। इसके बाद मैं उनको घरवालों से बात करके बताने की कहकर आ गया। जमीन पर कब्जा दिलवाने की शिकायत मैंने थाने पर दे रखी हैं तथा इस मामले में कोई न्यायालय इत्यादि पर कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। थानाधिकारी मेरे ऊपर पैसों के लिए अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। मैं अपनी खरीदी हुई जमीन पर बैध रूप से कब्जा चाहता हूँ। मैं श्री धनराज मीणा, सीआई एवं भरत कानिस्टेबल को रिश्तत के तीन लाख रु. नहीं देना चाहता हूं, श्री धनराज जी से मेरा कोई पुराना हिसाब किताब बकाया नहीं हैं। मैं उनको रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हू। ना मेरा कोई लेनदेन हैं। श्री धनराज मीणा जी से धनराज जी को इससे पूर्व से नहीं जानता हूं। मैं मेरे जायज काम के बदले श्री धनराज पु. नि. को रिश्तत नहीं देना चाहता हूं, उनको रिश्तत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, कार्यवाही करने की कृपा करे" परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्तत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्तत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह, हैड कानि नं. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चालु व बंद करने व रिकार्डर करने की विधि समझाई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि आज ही थाने से मेरे पास फोन आया हैं तथा उन्होने मुझे आज ही बुलाया है। इस पर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द किया तथा फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकार्डर पृथक से बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को परिवादी के हमराह निगरानी हेतु रवाना किया गया। समय 6.50 पी.एम. पर परिवादी श्री दीपक सोनी मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 के कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर पेश कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं, नरेन्द्र जी के साथ मेरी कार से रवाना होकर कैथून पहुंचा तथा थाना कैथून से कुछ दूर पहले ही मैंने रिकार्डर चालु करके अपनी पेंट की जेब में रखा तथा नरेन्द्र जी को थाने के बाहर ही उतार कर मैं थाने के अन्दर गया। वहां पर मुझे थानाधिकारी धनराज जी नहीं मिले तथा जिस दिन मेरी थानाधिकारी से पांच लाख एवं तीन लाख रु.के संबंध में बात हुई थी उस दिन बात कराने के लिए जिस कानि. भरत ने धनराज जी से मुझे मिलवाया था वो मुझे मिल गया था, आज भी सुबह उसने ही मुझे फोन करके थानाधिकारी से मिलने के लिए बुलाया था, मेरे द्वारा थानाधिकारी के लिए पूछने

पर उसने बताया कि साहब तो निकल गये आपको 12 बजे आने के लिए कहा था वो आपका इन्तजार करके निकल गये यंहा चरण चौकी पर कोई मामला हो गया था साहब वंहा गये हैं आप बैठो मैं बात करता हूं वो अभी आ जायेंगे। इसके बाद उसने मुझे बताया कि आप जमीन की नकल, आधार कार्ड इत्यादि की जेरोक्स यंहा थाने के बाहर दुकान से करवा लाओ जिस पर मैं बाहर आकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द करके नरेन्द्र जी से मिले। इसके बाद करीबन 40 मिनट बाद मैं पुनः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करके नरेन्द्र जी को थाने के बाहर ही गाडी से उतारकर थाने से कुछ दूर बाजार में गया तथा कुछ समय बाद थाने के अन्दर गया जब भी थानाधिकारी नहीं आये थे, भरत कानि. मुझे थाना परिसर में ही मिल गया तथा वह मुझे थाने के अन्दर एक कमरे में ले गया था तथा जब मैंने उसको थानाधिकारी से बात करने तथा पैसे किसको देने हैं के लिए पूछा तो उसने कहा कि थानाधिकारी से बात कर लेता हूं वो बता देंगे कैसे, किसको करना है, इसके बाद उसने अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन करके थानाधिकारी धनराज मीणा को वॉट्सएप कॉल किया तथा पूछा कि सर आप कब आ रहे हो तो थानाधिकारी ने कहा कि मुझे तो टाईम लगेगा तू कर ले तेरे हिसाब से इसके बाद पूछा कि तू कंहा हैं अभी मुझे विडियो कॉल करके दिखा, जिस पर भरत ने विडियो कॉल किया तथा वंहा कमरे के चारों तरफ तथा मुझे दिखाया तथा इसके बाद उन्होंने इशारा कर दिया तब भरत ने कहा कि ठीक। इसके बाद भरत ने मुझसे कहा कि अब साहब से बात हो गई हैं तथा आप पैसे मुझे ही दे दो तब मैंने कहा आपसे मैंने सुबह ही पूछा था कि रकम लाऊं क्या जब आपने ने कहा कि साहब से बात करने के बाद इसलिए मैं रकम लेकर नहीं आया तो भरत ने कहा कि साहब ने तो अभी देने के लिए कहा हैं तो मैंने कहा कि अभी कहा हैं तो अभी ले आऊंगा यंहा बैंक ऑफ बडौदा क्षेत्रीय गा०मीण राजस्थान बैंक हैं जंहा से विद्दाल फार्म से निकालकर ले आता हूं। इस पर उसने कहा की ठीक हैं जल्दी लेकर आना। इसके बाद हम दोनों वंहा से रवाना हुये तथा करीबन 5 या 7 मिनट बाद भरत कानि. को मैंने फोन करके बताया कि भरत जी बैंक में केस लेनदेन बन्द हो गया हैं बताओ क्या करूं इस पर भरत ने कहा कि वापस थाने पर आ जाओ इसके बाद मैंने वापस थाने पर जाने के लिए गाडी घुमाई ही थी कि भरत कानि. का वापस मेरे पास फोन आया जिस पर उसने बताया की मेरे कुछ काम आ गया मैं थाने से बाहर जा रहा हूं आप भी कल ही आ जाना। इसके बाद हम वंहा से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा आए है, इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा रिकॉर्डर को चालुकर उसमें रिकॉर्ड वार्ताओं को सुना गया तो श्री दीपक सोनी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर की फर्द प्राप्ती पृथक से बनाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी द्वारा बताये गये कथन एवं वार्ता को सुनने से स्पष्ट हैं कि आरोपी कल ही रिश्वत राशि प्राप्त करेगा अतः परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि तीन लाख रू. को लेकर सुबह 7.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान सुबह 7.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित होने के लिए पाबन्द करने हेतु एक तहरीर श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के नाम जारी कर श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा रवाना किया गया। श्री बृजराज सिंह कानि. 144 ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं यंहा से रवाना होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा गया था वंहा पर नियंत्रण कक्ष से दो गवाहान श्री त्रिलोक सिंह हाल नर्सिंग ऑफीसर, काला तलाब डिस्पेंसरी, कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा, मोबाईल नम्बर- श्री मोईनुद्दीन हाल नर्सिंग ऑफीसर, कुन्हाडी डिस्पेंसरी, कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा, मोबाईल नम्बर-

को जरिये मोबाईल कार्यालय भ्रनिब्यूरो कोटा में 7.00 ए.एम. उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर दिया गया। दिनांक 17.08.2024 समय 7.00 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री त्रिलोक सिंह पुत्र श्री देवीशंकर जाति खंगार उम्र 38 साल निवासी- नई बस्ती सोगरिया थाना रेल्वे थाना कोटा हाल नर्सिंग ऑफीसर, काला तलाब डिस्पेंसरी, कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा, मोबाईल नम्बर- तथा श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री उस्मान मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 31 साल निवासी- मकान नम्बर-60, शिव नगर, सिटी पुलिस लाईन कोटा हाल नर्सिंग ऑफीसर, कुन्हाडी डिस्पेंसरी, कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा, मोबाईल नम्बर- कार्यालय हाजा उपस्थित आये, कुछ समय बाद ही परिवादी भी कार्यालय हाजा में उपस्थित आया। गवाहान से परिवादी श्री दीपक सोनी का आपसी परिचय करवाया तथा होने वाली कार्यवाही से अवगत कराया तथा गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया तथा कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होने सहमति दी जिस पर स्वतंत्र गवान के परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये, तत्पश्चात परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर से उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता प्रथम एवं िद्वतीय जो परिवादी व आरोपी भरत कानि. के मध्य दिनांक 16.08.2024 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता मे से प्रथम वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री भरत कानि. की होना पहचान की तथा द्वितीय वार्ता में एक आवाज स्वयं की, दूसरी आवाज भरत कानि. की तथा तीसरी आवाज थानाधिकारी धनराज मीणा की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान के

समक्ष परिवादी श्री दीपक सोनी ने श्री भरत कानि. थाना कैथून को रिश्चत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 600 नोट कुल 3,00,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं- क्र.सं. नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2UG776687 2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3EW363024 3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2TL756668 4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0VV999404 5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6CW330732 6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1BM555599 7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7CM119987 8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5WB457694 9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1PM722780 10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3EA168466 11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1TT830576 12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0NE749318 13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3AQ296902 14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8TT762625 15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9AP981063 16. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9QA569171 17. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1CW203151 18. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3HC566590 19. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7BE987411 20. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6UA908339 21. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6FH204297 22. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3DS933327 23. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0NT508375 24. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3DG844433 25. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6SR318113 26. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3DS692075 27. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0KF840400 28. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1UF315150 29. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9NA302906 30. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5FQ187860 31. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7SR394428 32. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8HL941632 33. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4HM139882 34. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5SF026987 35. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9HA478856 36. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9SQ768944 37. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8RD325397 38. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4EB057005 39. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3PB559912 40. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0LQ643042 41. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2RC331230 42. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8ST757306 43. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9MT005846 44. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2DD884681 45. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9BF103228 46. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9TB240431 47. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QD556934 48. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2BR346250 49. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9HV387135 50. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7MA607675 51. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8GM384155 52. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1WV916963 53. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5GW643335 54. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4NK157206 55. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0FU975050 56. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3DQ085206 57. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7QD759480 58. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8EH966736 59. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0RA968896 60. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8UG943580 61. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3PG533568 62. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6UG028627 63. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1SF717708 64. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5KQ993938 65. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6MU007546 66. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6DM829943 67. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5LF836517 68. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0NT229633 69. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0BG285975 70. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3VE620063 71. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6BD651874 72. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9MS936583 73. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3GG635845 74. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5PR156429 75. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8CN243445 76. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1DH355367 77. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2SR325384 78. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5UF373116 79. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2TB471672 80. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6TS681097 81. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3TL508041 82. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6NF931334 83. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5RE837430 84. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0RA285264 85. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2EL484681 86. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4HN690581 87. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7GP450073 88. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9GU131989 89. पांच सौ रूपये

मुद्रा का नोट 7KD761816 541. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5SR626012 542. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5BL145025 543. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1AS931974 544. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5UG454131 545. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5WV043285 546. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1RT357271 547. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3EQ832832 548. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8VA709881 549. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2EK685405 550. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0EA739764 551. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7VA778631 552. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3EC762258 553. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6PV471724 554. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2FL965382 555. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2HK016313 556. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0CV598609 557. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6AP801324 558. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9DL048690 559. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0AV468891 560. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4GT743420 561. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4UK339810 562. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3DT983278 563. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9UV377120 564. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5SA304642 565. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1CU439807 566. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7WN682567 567. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8HP178004 568. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2AA075587 569. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8CC185377 570. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2BV512976 571. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0NC120664 572. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6BM523063 573. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1KA645677 574. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6VC216471 575. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7RU602317 576. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5FF053336 577. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7GF003585 578. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8UC579769 579. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2PP196347 580. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3HV765562 581. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1HE896405 582. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3RQ980078 583. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1AB954548 584. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8KH212634 585. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1FD681177 586. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4BD331603 587. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6CN070433 588. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0ED950097 589. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0QG068882 590. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9KS198627 591. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0TU982814 592. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1CU332705 593. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9SR625632 594. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0FU113832 595. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3ET465997 596. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5BC972921 597. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7MD604009 598. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4WQ048038 599. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8WN985379 600. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2AV374185

श्री अब्दुल सत्तार कानि. नं. 158 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री दीपक सोनी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोईनुद्दीन से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्त में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के छः सौ नोट कुल तीन लाख रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेंट की दांयी एवं बायीं जेब में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 से सीधे ही रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में कार्यालय के केम्पर से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री अब्दुल सत्तार कानि. 158 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्त में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम में लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्त राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्त राशि व स्वयं के कार्य के संबंध में स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्त देने के बाद मेरे मोबाईल पर मिसकॉल करके या अपने सिर पर

हाथ फेरकर ईशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्त के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री दीपक सोनी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्त लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। श्री अब्दुल सत्तार कानि 158 को कार्यालय हाजा में ही रहने की हिदायत की गई। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली की गई। समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी एवं श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को परिवादी की कार से श्री अनीष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, श्री गोपाल लाल स.उ.नि., श्री ब्रजराज सिंह है.कानि. 144 मय सरकारी वाहन बोलेरा मय चालक तवर सिंह के एवं श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 282 को उसकी स्वयं की मोटरसाईकिल से आगे-आगे रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री त्रिलोक सिंह एवं श्री मोईनुद्दीन व श्री आशिक हुसैन स.उ.नि. एवं श्री अभिषेक कानि. 197 प्राईवेट कार इनोवा से ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, मैमोरी कार्ड आदि एवं दिनांक 16.08.2024 को रिश्त मांग सत्यापन रिकॉर्ड हुई वार्ता के मैमोरी कार्ड सहित पुलिस थाना कैथून जिला कोटा के लिए रवाना होकर पुलिस थाना कैथून से थोड़ी दूर स्थित नहर पर पहुंचे, जंहा परिवादी को हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मैमोरी कार्ड के चालू करवाकर स्वयं के वाहन से आरोपी के पास पुलिस थाना कैथून रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पृथक-पृथक वाहनों से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर पुलिस थाना कैथून परिसर के पास पहुंचे जंहा परिवादी अपना वाहन थाने के गेट के बाहर खडा कर थाने के अन्दर गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान अपनी व वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए पुलिस थाना कैथून के बाहर परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 03.02 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री दीपक सोनी ने थाना कैथून के पोर्च के नीचे खडे हुये ने अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्त राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन पुलिस निरीक्षक, देशराज दोनो स्वतंत्र गवाह श्री त्रिलोक सिंह एवं श्री मोईनुद्दीन ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री गोपाल लाल, स.उ.नि., श्री आशिक हुसैन, स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री ब्रजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री योगेन्द्र सिंह 282, श्री अभिषेक कानि 197., मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व वस्तुओं के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दी गई रिश्त राशि के बारे में पूछा दे दिये तो परिवादी ने कहा कि हां तथा वो हम सभी को अपने पीछे आने का इशारा करके थाने मैस में ले गया तथा मैस के एक कोने की तरफ इशारा कर बताया कि यंहा रखे हुए थे पैसे, वहां कोई वस्तु नहीं होने पर मैने पूछा कि कंहा हैं तो परिवादी ने हम सभी को पीछे-पीछे आने का इशारा कर थाने के पीछे गया जिसके पीछे हम सभी गये परिसर में बने एक सरकारी आवास पर की तरफ परिवादी ने इशारा करके कहा कि यहीं ही भरत हैं वंहा पर चार पांच व्यक्ति खडे हुए थे तो हमने पास पहुंचकर उनसे पूछताछ की तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम भरत बताया। जिसको जाब्ते की मदद से डिटेन किया तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने भरत की ओर इशारा कर बताया कि ये ही भरत कानि. हैं जिन्होंने मेरी जमीन पर कब्जा दिलवाने की एवज में थानाधिकारी धनराज मीणा के लिए अभी-अभी तीन लाख रू. मुझे थाने की रसोई में ले जाकर एक सफेद रंग के कपडे पर रखवाये तथा मुझे थानाधिकारी से मिलवाने की कहकर बाहर बैठने के लिए बोलकर रसोई में से रू. लेकर थाने के पीछे आ गये थे। पास खडे हुये भरत कुमार नामक सफेद रंग की शर्ट व नीले रंग की जिन्स पेंट पहने हुए व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मंतव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भरत कुमार पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी- खारियातला, थाना बाडमेर ग्रामीण, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल कानि. नम्बर 194 थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण मोबाईल नम्बर- होना बताया। तत्पश्चात भरत कुमार से परिवादी से लिये गये रूपयों के बारे में पूछा तो भरत कुमार ने बताया कि ये दीपक सोनी जी कुछ दिनों पहले थाने पर आये थे तथा इनकी जमीन पर कब्जा दिलवाने के संबंध में इनकी पत्नि के नाम से परिवाद दिया था। उसके कुछ समय बाद ये फिर से थाने पर आये तो सी.आई.साहब धनराज मीणा जी ने मुझे इनसे बात करने के लिए कहा। जिस पर मैने इनको थानाधिकारी से उनके कक्ष में मिलवाया था, जंहा पर धनराज जी से इनकी बात हुई तो धनराज जी ने जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए पांच लाख रू. मांगे। दीपक सोनी ने मुझसे कहा कि मैं इतने रू. नहीं कर सकता मैने 27 लाख रू. में जमीन खरीदी तथा जमीन का म्यूटेशन खुलवाने के लिए तहसील में गया तो उसने उसी जमीन पर के.सी.सी. 7,50,000 रू. ले रखी थी वो भी मुझे चुकानी पडी हैं मैं इतने पैसे नहीं कर सकता तो मैने सी.आई. साहब से बात करके तीन लाख रू. में इनको कब्जा दिलवाने के लिए कह दिया जिसके बाद ये मुझे बाद में आने की कहकर चले गये तथा करीबन दस- बारह दिन तक नहीं आये तो मैने इनको सी.आई. साहब के मिलने के लिए कॉल किया जिस पर ये कल दिनांक 16.08.2024 को थाने पर आये थे यंहा सी.आई. साहब नहीं थे तो मैने इनको कहा था कि मैं सी.आई. साहब से फोन करवाकर रामप्रसाद के भाई मनोज को बुलवा लूंगा तथा आपका काम करवा दूंगा तथा जब इन्होंने सी.आई. साहब से बात करने के लिए कहा तो मैने वॉट्सएप कॉल करके सी.आई. साहब से बात की तो उन्होने इनके सामने ही कह दिया था कि तू कर ले तेरे हिसाब से तथा फिर उन्होने ये जानने के लिए विडियो कॉल करने के लिए कहा कि हम कंहा हैं। इसके बाद मैने इनको राशि लेकर आने के

लिए कहा तो इन्होंने कहा था कि अभी तो मैं नहीं लाया आपसे मैंने सुबह फोन पर पूछा था तो आपने कहा था कि अभी मत लाओ सी.आई. साहब से बात कर लो इसलिए मैं नहीं लाया तथा जब मैंने इनसे कहा कि साहब ने तो अभी के लिए कहा है तो इन्होंने कहा था कि अभी बैंक से निकलवा कर दे जाता हूँ, जिस पर मैंने इनको बैंक भेजा था किन्तु थोड़ी देर में ही इनका फोन आया कि बैंक में केस का लेनदेन बन्द हो गया है क्या करूँ तो मैंने इनको कहा था कि वापस थाने पर आ जाओ किन्तु मेरे काम आ जाने के कारण दो-चार मिनट बाद ही मैंने इनको फोन करके आज आने के लिए कहा था, जिस पर इन्होंने हाँ कह दिया था फिर मैंने इनको आज मोबाईल से मैसेज करके पूछा था कि कब तक आओगे इस पर इन्होंने मोबाईल पर जवाब दिया था कि एक घण्टे में। इसके बाद ये अभी थोड़ी देर पहले आये थे तथा मुझसे मिले तो मैंने इनको कहा था कि साहब तो अभी ओमबिरला जी की ज्युटि में गये हुये हैं यहाँ पर नहीं हैं इसके बाद हमारी अन्य बातें हुई तथा इन्होंने पैसों के लिए इशारा किया तो मैं इनको थाने पर बनी मैस में ले गया तथा वहाँ पर रखे हुए सफेद कपड़े पर इनसे रुपये रखने के लिए बोला जब इन्होंने गिनने के लिए कहा तो मैंने कहा था कि विश्वास है इसके बाद मैं इनको थाने पर बैठने की बोलकर वहाँ से रुपये जिस कपड़े में लिए थे उस कपड़े सहित थाने में रखी प्लास्टिक की थैली में रखकर अपने आवास बी-1 में पीछे की तरफ दिवार के सहारे रखकर मेरे आवास के सामने बने थानाधिकारी आवास में आया जहाँ पर सी.आई. साहब श्री धनराज जी मौजूद मिले जिन्हे मैंने इनसे ली गई रिश्तत राशि 3 लाख रुपये लेने बाबत बताया जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, इतनी ही देर में आप सभी लोगे आ गये आप मुझसे पूछताछ कर ही रहे थे कि सी.आई. साहब उनके आवास के कमरे की खिडकी से निकल गये। इस पर सी.आई. श्री धनराज मीणा को तलाश किया गया तो वो थाना परिसर में कहीं पर भी मौजूद नहीं मिला तथा मोबाईल भी बन्द हो रहा था। परिवादी दीपक सोनी से भरत कुमार द्वारा कहे गये कथनो बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि इन्होंने जो कहा है वो सही है, तत्पश्चात श्री भरत कुमार को थानाधिकारी के आवास से उसके आवास पर ले जाकर भरत कुमार की निशादेही पर उसके आवास के पीछे की तरफ बनी हुई दिवार के पास से एक प्लास्टिक की थैली को उठाकर देखा तो उसमें एक कपड़े साफी में पाँच-पाँच सौ रुपये के नोट रखे हुये थे, नोटों को यथा स्थिति रखकर उक्त थैली को थानाधिकारी के आवास में लाकर स्वतंत्र गवाह श्री त्रिलोक सिंह एवं श्री मोईनुद्दीन से थैली में रखे हुये कपड़े से निकलवाकर गिनवाया गया तो वो पाँच-पाँच सौ रुपये के 600 नोट कुल 3,00,000 रुपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी भरत ने परिवादी से रिश्तती राशि 3,00,000 रुपये एक कपड़े में रखवाकर कपड़े को लेकर वह अपने आवास पर गया तथा आवास परिसर में कपड़े को नोटों सहित रखकर आया है हैं, अतः आरोपी श्री भरत कुमार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कमरे में रखे हुए केम्पर से पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी भरत कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गन्दमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गन्दमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। रिश्तत राशि जिस कपड़े में लिपटकर एक प्लास्टिक की थैली में रखे गए थे, उस कपड़े व थैली का धोवन लेना आवश्यक होने से कपड़े का धोवन लेने हेतु कमरे में रखे हुए केम्पर से पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात जिस कपड़े में लिपटे हुए रिश्तती राशि बरामद हुई थी को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क T-1, T-2 अंकित किया। इसके पश्चात कपड़े को सुखाकर उसको एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सील चिट कर मार्क T अंकित करवा थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्तत राशि जिस प्लास्टिक की थैली में कपड़े में लिपटी हुई बरामद हुई थी उस प्लास्टिक की थैली का धोवन लेने हेतु कमरे में रखे हुए केम्पर से पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात जिस प्लास्टिक की थैली में कपड़े में लिपटे हुए रिश्तती राशि बरामद हुई थी उस प्लास्टिक की थैली को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया। इसके पश्चात प्लास्टिक की थैली को सुखाकर उसको एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सील चिट कर मार्क P अंकित करवा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात श्री भरत कुमार से परिवादी के कार्य से संबन्धित परिवाद के बारे में पूछा तो कहा कि इनके द्वारा दिया गया परिवाद थाने पर ही होगा मुझे जानकारी नहीं है, इस पर थाने पर मौजूद श्री पुरुषोत्तम लाल मेहता उ.नि. से परिवादी श्री दीपक सोनी की पत्नी श्रीमती रेणु सोनी के नाम से पेश परिवाद के संबंध में पूछा तो उन्होंने परिवादी दीपक सोनी की पत्नी

के नाम से पेश परिवाद एवं थाने के परिवाद रजिस्टर में जिस प्रति पर परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद का इन्द्राज किया हुआ है उस पेज की प्रमाणित प्रति पेश कि परिवाद रजिस्टर में क्रमांक 970 पर श्रीमती रेणू सोनी द्वारा पेश परिवाद का इन्द्राज हो रखा है तथा कारण जमीनी विवाद का अंकन होकर परिवाद जांच हेतु श्री राजेन्द्र है.कानि. 185 के नाम अंकित किया हुआ है। उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री भरत कुमार की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री मोइनुद्दीन से लिवाई गई तो उनके पहने हुये कपड़ों में एक मोबाईल दो सिमवाला बरंग GEMSTONE BLACK Benco S-1 Pro Model No. AE 9260 कम्पनी का मिला। उक्त मोबाईल से परिवादी एवं श्री भरत कुमार के मध्य रिश्त मांग एवं लेनेदेन के संबंध में वार्ता एवं जरिये वॉट्सएप मैसेज का आदान प्रदान हुआ है तथा दिनांक 16.08.2024 को थानाधिकारी श्री धनराज मीणा से जरिये वॉट्सएप ऑडियो एवं विडियो कॉल किया गया है। अतः श्री भरत कुमार के उक्त मोबाईल में थानाधिकारी से किये गये वॉट्सएप ऑडियो एवं विडियो कॉल की कॉल लॉग तथा थानाधिकारी धनराज मीणा के वॉट्सएप नम्बर की चेंटिंग की स्क्रीन शॉट, की प्रिन्ट आउट लिया गया तथा मोबाईल को एक लिफाफे में रखाकर अनुसंधान हेतु वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। स्क्रीन शॉट के प्रिन्ट आउट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा प्रिन्ट आउट को शामिल पत्रावली किया गया। आरोपीगणों की आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया तथा थानाधिकारी के आवास एवं आवास के बाहर एक स्कॉर्पियो गाडी नम्बर Rj20 UB3280 खडी हुई है, थाने के जाब्ले से पूछने पर बताया कि इस गाडी को सी.आई. साहब इस्तेमाल करते है। अतः आवास एवं उक्त गाडी तलाशी पृथक से लेकर पृथक से फर्द तलाशी मुर्तिब की गई। फर्द खाना तलाशी के दौरान थानाधिकारी श्री धनराज मीणा के आवास से 21 बोतल शराब की मिलने से पृथक से आबकारी विभाग को सूचित कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये तथा स्कॉर्पियो गाडी में तलाशी के दौरान मिली रकम 1,90,500 रु. को वजह सबूत जब्त किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री दीपक सोनी पुत्र श्री श्यामबाबू सोनी उम्र 40 साल निवासी-कोटडी गोवर्धनपुरा, मोहन चाट वाले के पास, कोटा द्वारा क्रय की गई एवं रजिस्ट्री तथा नामांतरणशुदा जमीन पर विक्रेता के अन्य परिवारजनो द्वारा एतराज किये जाने पर परिवादी द्वारा इस संबंध में थानाधिकारी थाना कैथून धनराज मीणा पु. नि. को इस बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। थानाधिकारी द्वारा परिवादी को उसकी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए तीन लाख रु. रिश्त मांग की गई तथा इस संबंध में थाने के कानि. भरत कुमार से सम्पर्क करने और लेन-देन हेतु कहा गया, जिस पर दिनांक 16.08.2024 को रिश्त मांग का सत्यापन करवाया गया तो श्री भरत कुमार द्वारा परिवादी से रिश्त मांग की गई तथा परिवादी से पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में रिश्त राशि उसी समय लेकर आने के लिए कहा तथा परिवादी द्वारा बैंक से रु. नहीं निकलने बाबत कहने पर दिनांक 17.08.2024 को आने के लिए कहा दौराने ट्रेप कार्यवाही भरत कुमार द्वारा परिवादी से तीन लाख रुपये थाने के मैस में ले जाकर एक कपडे में रखवाये तथा परिवादी को थाने के बाहर इन्तजार करने की कहकर स्वयं रिश्त राशि लेकर थाना परिसर में स्थित स्वयं के आवास परिसर में एक प्लास्टिक की थैली में रखकर आने, रिश्त राशि श्री भरत कुमार कानि. के आवास परिसर से बरामद होने, आरोपी भरत कुमार के दाहिने एवं बायें हाथ का रंग गन्दमैला आने, रिश्त राशि बरामदगी के कपडे व प्लास्टिक की थैली का धोवन गुलाबी आने से आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी- खारियातला, थाना बाडमेर ग्रामीण, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल कानि. नम्बर 194 थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेशनशुदा आरोपी श्री भरत कुमार को पृथक से जर्जे फर्द गिरफ्तार किया जावेगा। थानाधिकारी श्री धनराज मीणा, पुलिस निरीक्षक दौराने ट्रेप कार्यवाही मौके से फरार हो जाने से पृथक से कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सम्पूर्ण सीजर एवं बरामदगी की कार्यवाही को मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल में लगे हुये मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी फर्द जब्ती व डबिंग पृथक से बनाई गई। इसके पश्चात परिवादी श्री दीपक सोनी की निशांदाही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया, तत्पश्चात आरोपी भरत कुमार की निशांदाही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्त राशि बरामदगी स्थल का घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद आरोपी श्री धनराज मीणा, पु.नि. के सरकारी आवास एवं उसके परिसर में खडी हुई स्कॉर्पियो गाडी नं. आर.जे. 20 यू.बी. 3280 की खाना तलाशी लिये जाने से पूर्व विडियो रिकॉर्डिंग की गई जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से बनाई गई। इसके पश्चात आरोपी भरत कुमार व परिवादी श्री दीपक सोनी के मध्य दिनांक 16.08.2024 को हुई रिश्त मांग सत्यापन वार्ता तथा दिनांक 17.08.2024 को रिश्त राशि लेन देन के समय हुई वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमुना देने हेतु आरोपी भरत कुमार को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं मेरी इच्छा से आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री धनराज मीणा, पुलिस निरीक्षक के सरकारी आवास एवं उसके परिसर में खडी हुई स्कॉर्पियो गाडी की खानातलाशी नियमानुसार मुर्तिब की गई। आरोपी की स्कॉर्पियो गाडी के डेसबोर्ड में मिली राशि 1,90,500 रु. को वजह सबूत जब्त कर कब्जा एसीबी लिया

गया। खाना तलाशी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 18.08.2024 समय 12.30 ए.एम.पर आरोपी श्री भरत कुमार द्वारा परिवादी श्री दीपक सोनी द्वारा क्रय की गई एवं रजिस्ट्री तथा नामांतरणशुदा जमीन पर विक्रेता के अन्य परिवारजनो द्वारा एतराज किये जाने पर परिवादी द्वारा इस संबंध में थानाधिकारी थाना कैथून धनराज मीणा पु.नि. को इस बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। थानाधिकारी द्वारा परिवादी को उसकी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए तीन लाख रू. रिश्वत की मांग कर इस संबंध में कानि. भरत कुमार से सम्पर्क करने और लेन-देन हेतु कहा गया, जिस पर दिनांक 16.08.2024 को कानि. भरत कुमार से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तथा बाद सत्यापन दिनांक 17.08.2024 को दौरान ट्रेप कार्यवाही भरत कुमार द्वारा परिवादी से तीन लाख रुपये थाने के मैस में ले जाकर एक कपडे में रखवाये तथा परिवादी को थाने के बाहर इन्तजार करने की कहकर स्वयं रिश्वत राशि लेकर थाना परिसर में स्थित स्वयं के आवास परिसर में एक प्लास्टिक की थैली में रखकर आने, रिश्वत राशि श्री भरत कुमार कानि. के आवास परिसर से बरामद होने, आरोपी भरत कुमार के दाहिने एवं बायें हाथ का रंग गन्दमैला आने, रिश्वत राशि बरामदगी के कपडे व प्लास्टिक की थैली का धोवन गुलाबी आने से आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी-खारियातला, थाना बाडमेर ग्रामीण, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल कानि. नम्बर 194 थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, चूकी इस संबंध में आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान में विपरित प्रभाव डाल सकता है। उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी की पत्नी श्रीमती कमला को व्यक्तिगत रूप से दी गई। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द गिरफ्तारी को शामिल पत्रावली किया गया। समय 1.40 ए.एम. पर परिवादी श्री दीपक सोनी को आज प्रातः 11 बजे कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत कर मौके से रूखसत कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराही जाब्ता, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री भरत कुमार, शील्डशुदा धोवन की शीशियां आठ, रिश्वत राशि तीन लाख रू. मय कपडे की थैली, स्वापी (टावल) का शील्डशुदा कपडे की थैली, प्लास्टिक की थैली की शील्डशुदा कपडे की थैली, आरोपी के मोबाईल की अनशील्ड थैली, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड, रिश्वत सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड, स्कॉर्पियों गाडी में तलाशी के दौरान मिली रकम 1,90,500 रू., समस्त सीजर एव खानातलाशी की रिकॉर्डिंग में काम में लिया गया मैमोरी कार्ड एवं समस्त जब्तशुदा सामान मय ट्रेप बॉक्स लेपटोप प्रिन्टर के पृथक-पृथक वाहनों से एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे, जब्तशुदा आर्टिकल को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को प्रातः 11.00 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 18.08.2024 समय 11.30 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री त्रिलोक सिंह व श्री मोइनुद्दीन एवं परिवादी श्री दीपक सोनी पृथक-पृथक कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 11.35 ए.एम. पर कार्यालय हाजा के मालखाने में सुरक्षित रखे हुये आर्टिकल्स शील्डशुदा धोवन की शीशियां आठ, रिश्वत राशि तीन लाख रू. मय कपडे की थैली, स्वापी (टावल) का शील्डशुदा कपडे की थैली, प्लास्टिक की थैली की शील्डशुदा कपडे की थैली, आरोपी के मोबाईल की अनशील्ड थैली, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड, रिश्वत सत्यापन वार्ता का मैमोरी कार्ड, स्कॉर्पियों गाडी में तलाशी के दौरान मिली रकम 1,90,500 रू., समस्त सीजर में एवं खानातलाशी की रिकॉर्डिंग में काम में लिया गया मैमोरी कार्ड एवं समस्त जब्तशुदा सामान को बाहर निकलवाया गया। दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत लेन देन वार्ता जो परिवादी व आरोपी भरत कानि. के मध्य दिनांक 17.08.2024 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर शामिल फाईल की गई, तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दीपक सोनी के समक्ष परिवादी दीपक सोनी एवं आरोपी भरत कुमार कानि. 194 के मध्य दिनांक 16.08.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को एवं दिनांक 17.08.2024 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता को परिवादी द्वारा पृथक-पृथक मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत लेन देन वार्ता की हेसबेल्यू निकाल कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेन देन वार्ता के मैमोरी कार्ड पृथक-पृथक जयें डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि 140 से लेपटॉप में कनेक्ट करवाकर कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को SanDisk Cruzer Blade 32 GB कम्पनी के पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व दो पेन ड्राईव आरोपीगण के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वॉइस रिकार्डर में लगे हुये दोनों मैमोरी कार्ड्स SanDisk

32 GB micro SDHC- 1 को निकालकर कवर में रखकर कपड़े की थैली में पृथक-पृथक सील मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 2.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री दीपक सोनी के समक्ष दिनांक 17.08.2024 को की गई सीजर की कार्यवाही, थानाधिकारी के सरकारी आवास की खाना तलाशी, एवं आरोपी भरत कुमार की जामा तलाशी जयें मोबाइल मैमोरी कार्ड में एवं स्कॉर्पियों गाडी की तलाशी एवं गाडी से प्राप्त राशि की गिनती की रिकॉर्डिंग जयें मोबाइल की गई थी। मोबाइल मय मैमोरी कार्ड को लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि 140 से अटैच करवाकर उक्त रिकॉर्डिंग की हेसबेल्यू निकाल कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिकॉर्डिंग को मैमोरी कार्ड/मोबाइल फोन से जयें लेपटॉप SanDisk Cruzer Blade 32 GB कम्पनी के 4 पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया। जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये व दो पेन ड्राईव आरोपीगण के लिये पृथक-पृथक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। मोबाइल में लगे हुए मैमोरी कार्ड्स SanDisk 32 GB micro SDHC- 1 को निकालकर कवर में रखकर कपड़े की थैली में पृथक सील मोहर किया गया, फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा बाद कार्यवाही परिवादी श्री दीपक सोनी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री त्रिलोक सिंह, श्री मोईनुद्दीन को अपने गंतव्य स्थान के लिए रूखसत किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स शीलडशुदा धोवन की शीशियां आठ, रिश्वत राशि तीन लाख रू. मय कपड़े की थैली, स्वापी (टावल) की शीलडशुदा कपड़े की थैली, प्लास्टिक की थैली की शीलडशुदा कपड़े की थैली, आरोपी के मोबाइल की अनशीलड थैली, रिश्वत सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता के मैमोरी कार्ड शीलडशुदा थैली-2, चार शीलडशुदा पेन ड्राईव की थैली, स्कॉर्पियों गाडी में तलाशी के दौरान मिली रकम 1,90,500 रू., समस्त सीजर एव खानातलाशी की रिकॉर्डिंग में काम में लिया गया मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी से जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया है कि परिवादी श्री दीपक सोनी पुत्र श्री श्यामबाबू सोनी उम्र 40 साल निवासी- कोटडी गोवर्धनपुरा, मोहन चाट वाले के पास, कोटा द्वारा क्रय की गई एवं रजिस्ट्री तथा नामांतरणशुदा जमीन पर विक्रेता के अन्य परिवारजनों द्वारा एतराज किये जाने पर परिवादी द्वारा इस संबंध में थानाधिकारी थाना कैथून धनराज मीणा पु.नि. को इस बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। थानाधिकारी द्वारा परिवादी को उसकी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए तीन लाख रू. रिश्वत की मांग की गई तथा इस संबंध में थाने के कानि. भरत कुमार से सम्पर्क करने और लेन-देन हेतु कहा गया, जिस पर दिनांक 16.08.2024 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन भरत कुमार द्वारा अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर जरिये वाट्सएप कॉल कर परिवादी के समक्ष पूछने पर ये कहने कि "तू कर ले तेरे हिसाब से" तथा विडियो कॉल पर इशारा किया, सी.आई. के कहने पर श्री भरत कुमार द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग की गई तथा परिवादी से पूर्व में हुई वार्ता के क्रम में रिश्वत राशि उसी समय लेकर आने के लिए कहा तथा परिवादी द्वारा बैंक से रू. नही निकलने बाबत कहने पर दिनांक 17.08.2024 को आने के लिए कहा दौराने ट्रेप कार्यवाही भरत कुमार द्वारा परिवादी से तीन लाख रुपये थाने के मैस में ले जाकर एक कपड़े में रखवाये तथा परिवादी को थाने के बाहर इन्तजार करने की कहकर स्वयं रिश्वत राशि लेकर थाना परिसर में स्थित स्वयं के आवास परिसर में एक प्लास्टिक की थैली में रखकर आने, रिश्वत राशि श्री भरत कुमार कानि. के आवास परिसर से बरामद होने, आरोपी भरत कुमार के दाहिने एवं बायें हाथ का रंग गन्दमैला आने, रिश्वत राशि बरामदगी के कपड़े व प्लास्टिक की थैली का धोवन गुलाबी आने तथा श्री धनराज पुलिस निरीक्षक को कार्यवाही की भनक लगने पर थाने से भाग जाने आदि से आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी- खारियातला, थाना बाडमेर ग्रामीण, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल कानि. नम्बर 194 थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण व श्री धनराज मीणा, पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, जाति मीणा उम्र 46 साल निवासी-ग्राम केशवपुरा थाना इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवास- एल-230 ग्रामीण पुलिस लाईन बोरखेडा, कोटा हाल पुलिस निरीक्षक, थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण का उक्त कृत्य धारा 7, 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री भरत कुमार को जयें फर्द गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी श्री भरत कुमार पुत्र श्री मूलाराम जाति जाट उम्र 26 साल निवासी- खारियातला, थाना बाडमेर ग्रामीण, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल कानि. नम्बर 194 थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण व श्री धनराज मीणा, पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, जाति मीणा उम्र 46 साल निवासी-ग्राम केशवपुरा थाना इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवास- एल-230 ग्रामीण पुलिस लाईन बोरखेडा, कोटा हाल पुलिस निरीक्षक, थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (देशराज) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री देशराज, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7 ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 आरोपीगण 1. श्री भरत कुमार पुत्र श्री मूलाराम उम्र 26 साल निवासी-

खारियातला, थाना बाडमेर ग्रामीण, तहसील बाडमेर जिला बाडमेर हाल कानि. नम्बर 194 थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण व 2. श्री धनराज मीणा, पुत्र श्री जगन्नाथ मीणा, उम्र 46 साल निवासी-ग्राम केशवपुरा थाना इन्द्रगढ जिला बून्दी हाल निवास- एल-230 ग्रामीण पुलिस लाईन बोरखेडा, कोटा हाल पुलिस निरीक्षक, थाना कैथून जिला कोटा ग्रामीण के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियों नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस0यू0 कोटा को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 284 पर अंकित है। (विशानाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर क्रमांक 926-31 दिनांक 19.08.2024 प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर। 3 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस - सतर्कता, राजस्थान जयपुर। 4 पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण। 5 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज., जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

ANITA VERMA

Rank

निरीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan, IN
Date: 20/08/2024 11:00



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनाबट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/03/1997				
2	Male	18/04/1978				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूँदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)